लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश
गौतम नगर,भोपाल-462023
दूरभाष न. 0755-2583653,फैक्स न.0755-2583651,ई-मेल cst4-dpi@mp.gov.in

क्रमांक / स्था0-4 / सी / अनु0नियु0 / 69 / 2018 / 87 भोपाल,दिनांक 14/1/19

प्रति,

1-- समस्त संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश,
2-समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- शासकीय सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत् ।
संदर्भ:-- म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-12 / 2018 / 1 / 3, भोपाल, दिनांक 05.01.2019

विषयांकित संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करने का कष्ट करें । जिसके तहत शासकीय सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति के एकजाई निर्देश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-12 / 2013 / 1 / 3, भोपाल, दिनांक 29.09.2014 को जारी किए गए है । उक्त निर्देश में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता तथा अपात्रता की शर्ते निर्धारित की गई है । कंडिका 13.6 एवं 13.7 में विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों एवं जिलास्तर पर रिक्त पदों पर निर्देश जारी होने के दिनांक से एक माह में अनिवार्य रूप से अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण किए जाने के स्पष्ट निर्देश है ।

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए । संलग्न प्रपत्र में दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में जानकारी चाही गई है । अतः संलग्न प्रपत्र में दिनांक 20.01.2019 तक अनिवार्य रूप से जानकारी संचालनालय को उपलब्ध करावें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार(प्रपत्र)

(हस्ताक्षर)
(अनुराग जायसवाल)
उप संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठां0क्रमांक / स्था--4 / सी / अनु.नियु. / 75 / 2018 / 88 भोपाल, दिनांक 14/1/19.

प्रतिलिपिः--

1 विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
2 उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल ।
3 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
4 उप संचालक, समन्वय, स्थानीय की ओर सूचनार्थ ।

(हस्ताक्षर)
उप संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी–3–12/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जनवरी, 2019

प्रति. -

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– शासकीय सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत।

संदर्भः– इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 3–12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर, 2014

कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करें, जिसके तहत "शासकीय सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति के एकजाई निर्देश दिनांक 29/9/2014 को जारी किए गए हैं। उक्त निर्देश की कंडिका–3 में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता तथा कंडिका–4 में अपात्रता की शर्तें निर्धारित की गई है। कंडिका 13.6 व 13.7 में विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों एवं जिलास्तर पर रिक्त पदों पर निर्देश जारी होने के दिनांक से एक माह में अनिवार्य रूप से अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण किए जाने के स्पष्ट निर्देश हैं।"

2/ राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। अतः दिनांक 29/9/2014 को जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। साथ ही संलग्न प्रपत्र में दिनांक 31/12/2018 की स्थिति में जानकारी एक सप्ताह मे अनिवार्य रूप से इस विभाग को उपलब्ध कराएं।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(सी.बी.पडवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned by CamScanner

प्रपत्र

अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की जानकारी

(दि0 31/12/2018 तक की स्थिति में)

स.क	विभाग/कार्यालय/जिला का नाम	दि0 29.09.14 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या	दिनांक 29.09.14 से 31.12.18 तक लंबित प्रकरणों की संख्या	कुल लंबित प्रकरणों की संख्या (3+4) का योग	दिनांक 31.12.18 तक निराकृत प्रकरणों की संख्या	31.12.18 तक शेष प्रकरणों की संख्या	प्रकरण निराकृत न होने का संक्षिप्त कारण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Scanned by CamScanner